

घाटनी घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर, तर्ष 22, अंक- 350- शनिवार 24- अक्टूबर 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीकरण. क्र. 13/Surguja DN/ 2026-2028

एलएसी पर चीन के गश्ती नियम तोड़ने से बिगड़ती है स्थिति : भारत

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 2026। भारत ने कहा है कि चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति समय-समय पर तभी बिगड़ती है जब चीनी सेनाएं निर्धारित गश्ती पैटर्न से हट जाती हैं। ऐसे में दोनों पक्ष मुद्दों को सुलझाने और गलतफहमी से बचने के लिए राजनयिक और सैन्य चैनलों का इस्तेमाल करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि जब चीनी सेनाएं पहले से तय गश्त के तौर-तरीकों से हटती हैं, तो भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति समय-समय पर बिगड़ जाती है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों को सुलझाने तथा गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य तंत्रों का उपयोग करना जारी रखे हुए हैं। दोनों पक्षों ने बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में एलएसी की समझ को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करने पर भी सहमति जताई है। जायसवाल ने बेहतर प्रबंधन के लिए एलएसी की समझ को सुधारने के समझौतों का उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए शांति और स्थिरता आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि भारत-चीन सीमा पर स्थिति को लेकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों पर चीन के साथ गतिरोध की घटनाएं हुई हैं।

अमिताभ बच्चन का बंगला उड़ाने की धमकी दिलजीत दोसांझ को जान से मारने का मेल

मुंबई, 23 अक्टूबर 2026। अमिताभ बच्चन और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को शुक्रवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े को यह धमकी भरा ई-मेल भेजा गया। इसमें अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलरत्न' को बम से उड़ाने की बात लिखी गई। कहा गया कि 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच कभी भी बंगले को निशाना बनाया जा सकता है। हमला 1984 के 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' का बदला होगा। इसी मेल में गायक दिलजीत दोसांझ को भी आत्मघाती हमले में मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह मेल तब आया है, जब 5 दिनों पहले रविवार को एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में फायरिंग की गई। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। मुंबई मेयर को भेजे गए मेल में खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए हैं।

चिन्मय मिशन की शताब्दी यात्रा और विकसित भारत का लक्ष्य एक साथ आगे बढ़ेंगे : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के साथ ही चिन्मय मिशन भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने की दिशा में होगा। उन्होंने कहा कि चिन्मय मिशन की शताब्दी यात्रा और विकसित भारत के निर्माण का अभियान एक साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के लक्ष्य और उद्देश्य एक हैं। मोदी ने यहां भारत मंडप में आयोजित चिन्मय अमृत महोत्सव वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ समाज को एकजुट करना, आत्मनिर्भरता के लिए लोगों को जागरूक करना और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प से जन-जन को जोड़ना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी को और अधिक सक्रिय होना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिन्मय मिशन केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक विचार है। इसकी स्थापना स्वामी चिन्मयानंद ने की थी और दशकों की इसकी यात्रा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संकल्पों से भरी रही है। उन्होंने दुनिया भर में मिशन से जुड़े सतों, आचार्यों, साधकों और अनुयायियों को अमृत महोत्सव की बधाई देते हुए विश्वास जताया कि वे विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मोदी



मोदी बोले...विकसित भारत और चिन्मय मिशन का रास्ता एक

बीते दशकों में समय बदला है। देश के सामने नई चुनौतियां पैदा हुई हैं। आज उसके समाधान का काम हम सबके सामने है। आज हमें आत्मनिर्भरता के लिए देश को जागरूक करना है। हमें 2047 के विकसित भारत संकल्प से सबको जोड़ना है। जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, जब चिन्मय मिशन भी 100 साल पूरे करेगा। यानी विकसित भारत और चिन्मय मिशन का रास्ता एक है। मुझे विश्वास है, आप सब मिलकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे।

पीएम ने कहा...अब देश ऋषियों-राष्ट्रभक्तों की राह पर...

आज उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। अयोध्या राम मंदिर हो, उज्जैन का महाकाल धाम हो या केदारनाथ या बद्रीनाथ हो, हर जगह ऐसा ही हो रहा है। एक समय भारत से बहुत सी मुर्तियां चोरी कर विदेश ले जाई गईं। इन्हें बेव दिया गया। कोई इन्हें पूछने वाला नहीं था। हम पिछले 12 साल में ऐसी 600 मुर्तियां वापस लाए हैं। देश अब उस राह पर आगे बढ़ रहा है, जिसका सपना हमारे ऋषियों और राष्ट्रभक्तों ने देखा था।

ने आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वामी चिन्मयानंद के होलोग्राम के दर्शन और संवाद के अनुभव को याद करते हुए कहा कि ऐसा

लगा मानो वह 33 वर्ष पीछे पहुंच गए हों। वर्ष 1993 में बड़ौदा में गुरुदेव से हुई मुलाकात, उनके साथ बातचीत, स्नेह और

चुनौतियों का सामना करने के लिए बराबर तैयार रहें आर्मी कमांडर्स : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना को बड़ा फ्रेमवर्क देने वाला 'लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन' लॉन्च किया

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय की रणनीतिक सोच के साथ काम करने और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बराबर तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने 'लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन' लॉन्च किया और यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग मिशन में बेहतरीन सेवा के लिए तीन भारतीय सेना के जवानों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री ने मॉडर्न युद्ध के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बात कही और जोर दिया कि सफलता मल्टी-डोमेन क्षमताओं और जॉइंट ऑपरेशन में आसान तालमेल पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई सोच और बेहतर तालमेल दिखाया, साथ ही एडवांस्ड हथियारों का भी इस्तेमाल किया। रक्षा मंत्री ने आर्मी कमांडर्स से जियोपॉलिटिकल और क्षेत्रीय डेवलपमेंट पर करीब से नजर रखने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने अगले 20-30 सालों के लिए एक लंबे समय के स्ट्रेटेजिक विजन की ज़रूरत पर जोर दिया और



भारतीय सेना के सीनियर लीडरशिप से तुरंत और नई चुनौतियों का जवाब देने के लिए समान रूप से तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजी डायनेमिक और फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, ताकि बदलते हालात के हिसाब से समय पर बदलाव किए जा सकें। बदलते ऑपरेशनल हालात के हिसाब से खुद को ढालने के लिए डिफेंस फोर्स की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि नई सोच और बेहतर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से यह साफ संदेश गया कि भारत अपने राष्ट्रीय

हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाने में नहीं हिचकिचाएगा। उन्होंने क्षमताओं को मजबूत करने, लगातार परफॉर्मंस का आकलन करने और बदलते हालात के हिसाब से ज़रूरी सुधार लागू करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में कोशिशों में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर डोमेन में चुनौतियों के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए देश को तैयार रहना होगा। उन्होंने मॉडर्न युद्ध के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की अपील की और जोर दिया कि सफलता मल्टी-डोमेन क्षमताओं और जॉइंट ऑपरेशन में बिना रुकावट के तालमेल पर निर्भर करेगी। रक्षा मंत्री ने डिफेंस फोर्स की आत्मनिर्भरता की कोशिशों को माना और कहा कि भारत की बढ़ती डिफेंस मैनुफैक्चरिंग क्षमताएं सभी स्ट्रेकहोल्डर्स की मिलकर की गई कोशिशों का नतीजा हैं।

चीन को कितनी बार वलीन चिट देंगे? खरगे ने मोदी सरकार से पूछे तीन सवाल कहा...देश को सच बताएं प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 2026। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार की सीमा और विदेश नीति पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजिंग को पहले ही काफी वलीन चिट दी जा चुकी है और अब प्रधानमंत्री को भारत के सामने सच साफ-साफ रखना चाहिए। एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और राजनयिक जवाबदेही से जुड़े तीन अहम सवाल पूछे हैं। सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए, खरगे ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक की उन टिप्पणियों का जिक्र किया, जो अरुणाचल प्रदेश में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ हुई झड़पों से जुड़ी थीं।

खरगे ने सवाल पूछे?

खरगे ने केंद्र सरकार से सवाल किया, 'अरुणाचल प्रदेश में पीएलए के साथ लगातार हो रहे टकराव की आईटीबीपी डीजी की ओर से पुष्टि बेहद चिंताजनक है। डेक्कलाम और गलवान के बाद, क्या कोई

दिल्ली हाईकोर्ट अदालत ने नेहा बोरा की याचिका की खारिज बॉन्ड भरने के लिए जारी किए नोटिस के खिलाफ दी थी अर्जी

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने नेहा की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 130 के तहत शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने के लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नेहा बोरा को 16 अक्टूबर को मंडी हाउस में एक सभा में शामिल होने के दौरान हिरासत में लिया गया था। उनका आरोप है कि उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाकर आरके पुरम थाने में रातभर रखा गया और अगले दिन सुबह छह बजे रिहा किया गया। नोटिस में मंडी हाउस पर नारेबाजी, निषेधाज्ञा के बावजूद जंतर-मंतर के आसपास विरोध प्रदर्शन और कनेट प्लेस में प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। नेहा बोरा ने याचिका में कहा है कि नोटिस में शांति भंग होने की आशंका के समर्थन में कोई ठोस कारण, विशिष्ट घटना या समयावधि नहीं बताई गई है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को स्पष्ट रूप से कहा कि वह सीजेपी की ओर से कनेट प्लेस में राष्ट्रीय झंडा पहनाने वाले प्रदर्शन से जुड़ी नहीं थीं।

बिहार की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट पति-पत्नी समेत 8 की मौत...

मकान के बाहर बिखरे शव, डेढ़ घंटे तक होते रहे धमाके

सीवान, 23 अक्टूबर 2026। बिहार के सीवान जिले के आलमपुर गांव में पटाखा बनाते समय एक फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। धमाका इतना तेज था कि आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। शुरुआत में मिली जानकारी के अनुसार, इस घटना में अभी तक आठ लोगों की मौत की सूचना है। वहीं कुछ घंटे बाद सीवान एसपी भरत सोनी ने पांच लोगों की मौत की पुष्टि की है। कई लोगों के घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि घटनास्थल के आसपास अभी भी विस्फोट हो रहे हैं। लगातार धमाकों के कारण राहत व बचाव दलों को अंदर जाने में मुश्किल हो रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाके की घेराबंदी की जा रही है। पुलिस के जवान भीड़ को मौके से हटा रहे हैं। इसी दौरान अचानक धमाके होने लगे। इस धमाके में पूरा मकान उड़ गया। लोगों के शव सड़क पर बिखर गए।

डेढ़ घंटे तक रुक-रुककर ब्लास्ट हुआ

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि करीब डेढ़ घंटे तक रुक-रुक कर ब्लास्ट होने से एक मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इस घटना में कई लोगों के शरीर के टुकड़े जहां-तहां बिखरे मिले हैं। धमाके रुकने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। इस बीच क्षत-विक्षत शवों को देख लोगों की रूह कांप उठी। एक परिवार के मां, पिता और बेटी की मौत की बात



सामने आ रही है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। सदर एसडीओ आशुतोष गुप्ता और महाराजगंज एसडीपीओ अमन भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बड़हरिया, जामो और गोरैयाकोटी सहित कई थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद है।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

धाना प्रभारी से बातचीत में बताया गया कि घटनास्थल पर राहत एवं बचाव अभियान जारी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की प्रार्थमिकता आग बुझाने, मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और स्थिति को नियंत्रित करने की है। धाना प्रभारी के अनुसार, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने और स्थिति सामान्य होने के बाद ही मृतकों एवं घायलों की वास्तविक संख्या स्पष्ट हो सकेगी।



और गंभीर टकराव शुरू हो रहा है? अगरस्त में तविसंग के पास चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आई थीं। फिर भी, वाचा-दमाई में कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 47 दिन बाद भी-जो कि कथित तौर पर यहां से सिर्फ 180 किमी दूर है-टकराव जारी है। क्या भारत की पेट्रोलिंग (गश्त) करने की पहुंच प्रभावित हुई है? उन्होंने जोर देकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और पूछा कि देश को इस बारे में 'अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है।' कांग्रेस अध्यक्ष ने चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर भी गहरी चिंता जताई और 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद सरकार के आर्थिक खूब पर सवाल उठाए।

संपादकीय

बदल रही युवाओं के करियर की दिशा

पिछले कुछ वर्षों में इंजीनियरिंग की दुनिया में यह धारणा लगभग स्थापित हो गई थी कि अच्छे अंक हासिल करने वाले छात्रों की पहली पसंद कंप्यूटर साइंस होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई),कोडिंग और आइट्री क्षेत्र के तेज विस्तार ने सिविल,मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी पारंपरिक शाखाओं को धीरे-धीरे पीछे धकेल दिया था, पर अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। भारत में बुनियादी ढांचे के विस्तार और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक उद्योगों में बढ़ते निवेश ने युवाओं के करियर विकल्पों को नई दिशा देना शुरू कर दिया है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसी पहल केवल आर्थिक विकास की योजनाएँ नहीं,बल्कि रोजगार और कौशल की मांग को भी बदल रही हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत में बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के तरीके को बदलने की कोशिश है। इसके तहत सड़क,रेलवे, बंदरगाह,बिजली,नागर विमानन और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों को अलग-अलग विकसित करने के बजाय उन्हें एक साझा योजना के तहत जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। अब तक इसने करीब 18.66 लाख करोड़ रुपये की 396 बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है। इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और 198 पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस मंच से 58 केंद्रीय मंत्रालय और सभी राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश जुड़े हैं। इस तरह के समन्वित निवेश का असर केवल सड़कों और रेलवे लाइनों की संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं रहता। जब राजमार्ग,औद्योगिक गलियारे,बिजली टैक्वर्क,बंदरगाह और गोदाम बेहत तालमेल के साथ विकसित होते हैं तो निर्माण मजदूरों से लेकर सिविल-मैकेनिकल इंजीनियरों,सर्वेक्षकों,परियोजना प्रबंधकों और तकनीकी विशेषज्ञों तक-हर स्तर पर कुशल मानव संसाधन की मांग बढ़ती है। आइएएसएम बेंगलुरु के एक अध्ययन के अनुसार,राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च किया गया प्रत्येक एक रुपया जीडीपी में 3.2 रुपये तक की वृद्धि कर सकता है। इसी तालमेल का नतीजा है कि देश की लाजिस्टिक्स लागत, जो कभी करीबी के 13-14 प्रतिशत के आसपास हुआ करती थी,अब घटकर करीब 7.9 प्रतिशत रह गई है। यानी बेहतर बुनियादी ढांचा केवल आवागमन आसान नहीं बनाता,बल्कि उद्योगों की लागत घटाकर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है।

आज दुनिया की आधुनिक अर्थव्यवस्थाएँ सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चल सकती। मोबाइल फोन और कारों से लेकर रक्षा उपकरणों और एआइ तक,लगभग हर आधुनिक तकनीक चिप पर निर्भर है। ऐसे में भारत लंबे समय तक केवल चिप का उपभोक्ता बने रहने के बजाय इस क्षेत्र में अपनी क्षमता विकसित करना चाहता है। इसके लिए हाल में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी।इसके तहत अब तक छह राज्यों में 12 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें सिलिकान फैब,कपाउंड सेमीकंडक्टर इकाइयाँ और असेंबली तथा टेस्टिंग इकाइयाँ शामिल हैं,लेकिन सेमीकंडक्टर उद्योग केवल फैक्ट्रियाँ लगाने से विकसित नहीं होगा। इसके लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की भी जरूरत होगी। 2026-27 के लक्ष्यों के अनुसार,सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों प्रत्यक्ष उच्च-कौशल रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। सरकार की स्मार्टलैब पहल के तहत एक लाख इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है,जिनमें से 62,000 का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है ।

लेख एवं विचार अभिव्यक्ति

लोकतंत्र की व्यथा और दुर्दशा : जितने राजनीतिक दल उतनी समीक्षा

राजनीतिक दल अब देश और जनहित को पीछे छोड़कर केवल अपनी सत्ता और राजनीतिक लाभ को सर्वोपरि रखने लगे हैं। वैचारिक बहस और



संजीव कुमार ठाकुर
राजपुर,छत्तीसगढ़

विकास के मुद्दों पर बात करने के बजाय,चुनाव अब भावनार्थ भड़काने, धुवीकरण और मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटने तक सीमित हो गए हैं। लोकतंत्र

किसी देश की शासन व्यवस्था मात्र नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं,स्वतंत्रता, समानता और न्याय का जीवंत प्रतिबिंब होता है। इसकी वास्तविक शक्ति राजनीतिक दलों की संख्या में नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा,जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन में निहित होती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में अनेक राजनीतिक दलों का होना स्वाभाविक है। यहाँ भाषा,संस्कृति,क्षेत्र,सामाजिक संरचना और आर्थिक परिस्थितियों की विविधता है। इसलिए विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को स्वर देने के लिए अनेक दलों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु जब राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ने के साथ जनहित के प्रश्न पीछे छूटने लगें,विचारधारा की जगह अवसरवाद ले ले और राजनीति का मूल उद्देश्य जनसेवा के बजाय सत्ता प्राप्त करना बन जाए,तब लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। आज प्रश्न यह नहीं है कि देश में कितने राजनीतिक दल हैं,बल्कि यह है कि वे लोकतंत्र को कितना मजबूत बना रहे हैं और आम नागरिक के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अनेक भारतीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। संविधान ने प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार देकर उसे शासन व्यवस्था में भागीदारी का अवसर दिया। यह अधिकार केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं,बल्कि अपनी आकांक्षाओं और असहमति को व्यक्त करने की शक्ति भी है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता का,जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया था। इस विचार में लोकतंत्र की संपूर्ण आत्मा समाहित है। यदि शासन जनता के नाम पर चले,लेकिन उसकी प्राथमिकताओं में जनता की समस्याएँ ही

शामिल न हों,तो लोकतंत्र का बाहरी स्वरूप भले सुरक्षित रहे,उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है। जनता को केवल चुनाव के समय याद करना और उसके बाद उसकी कठिनाइयों से विमुख हो जाना जनतांत्रिक भावना के विपरीत है। डॉ. भीमराव आंबेडकर

संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में स्पष्ट चेतावनी दी थी कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए,बल्कि राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। उन्होंने स्वतंत्रता,समानता और बंधुत्व को सामाजिक लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत बताया था। उनका यह कथन आज भी राजनीतिक दलों के लिए आत्ममंथन का अवसर है। आंबेडकर ने यह भी कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो,यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे,तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ है कि लोकतंत्र की सफलता केवल संविधान और संस्थाओं पर निर्भर नहीं करती,यह उन लोगों के चरित्र, आचरण और उत्तरदायित्व पर भी निर्भर करती है जिन्हें जनता शासन की जिम्मेदारी सौंपती है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अनेक बार यह दिखाई देता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जगह कटुता बढ़ती जा रही है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार की नीतियों की समीक्षा करना,गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित करना और जनता के सामने वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करना है। वहीं सत्तापक्ष का दायित्व है कि वह जनदेश को अहंकार का आधार न बनाए और आलोचना को लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा समझे। लेकिन जब विरोध केवल विरोध के लिए होने लगे, तथ्यपरक सरकारी निर्णयों को बिना तथ्यपरक विश्लेषण के नकार दिया जाए अथवा सत्ता पक्ष हर आलोचना को अपनी प्रतिष्ठा पर आक्रमण समझने लगे, तब लोकतांत्रिक संवाद प्रभावित होता है। संसद और विधानसभाएँ जनसमस्याओं



पर गंभीर बहस के मंच हैं,न कि केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के अखाड़े। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे वहाँ महँगाई,बेरोजगारी,शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि,पर्यावरण और आर्थिक असमानता जैसे प्रश्नों पर सार्थक चर्चा करें।

राजनीतिक दलों की समीक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार उनकी आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या दलों में योग्य और ईमानदार कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है? क्या संगठनात्मक निर्णय पारदर्शी ढंग से लिए जाते हैं? क्या नेतृत्व का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है? अथवा कुछ परिवर्तनवादी और प्रभावशाली समूहों के हथों में निर्णय लेने की शक्ति केंद्रित रहती है? लोकतंत्र का दवा करने वाले दलों को अपने भीतर भी लोकतंत्र का पालन करना चाहिए। यदि किसी दल में विचारों की स्वतंत्रता और आंतरिक असहमति के लिए स्थान नहीं है,तो उससे व्यापक लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव,चुनावी खर्च की अपारदर्शिता तथा उम्मीदवारों के चयन में अनुचित प्रभाव की आशंकाएँ भी लोकतंत्र के सामने ध्यान आकर्षित करना और जनता के सामने वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करना है। वहीं सत्तापक्ष का दायित्व है कि वह जनदेश को अहंकार का आधार न बनाए और आलोचना को लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा समझे। लेकिन जब विरोध केवल विरोध के लिए होने लगे, तथ्यपरक सरकारी निर्णयों को बिना तथ्यपरक विश्लेषण के नकार दिया जाए अथवा सत्ता पक्ष हर आलोचना को अपनी प्रतिष्ठा पर आक्रमण समझने लगे, तब लोकतांत्रिक संवाद प्रभावित होता है। संसद और विधानसभाएँ जनसमस्याओं

शक्ति है,लेकिन जब इसी विविधता को सामाजिक तनाव और चुनावी लाभ का साधन बनाया जाता है, तब राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक सद्भाव प्रभावित होते हैं। दल-बदल की राजनीति भी मतदाता के विश्वास को कमजोर करती है। जनता किसी उम्मीदवार को उसकी विचारधारा, घोषणापत्र और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं

के आधार पर चुनती है। यदि वही प्रतिनिधि चुनाव के बाद निजी लाभ अथवा सत्ता की संभावनाओं के कारण अपनी राजनीतिक दिशा बदल ले,तो मतदाता स्वयं को ठग हुआ महसूस कर सकता है। गठबंधन राजनीति लोकतांत्रिक बहुलता का स्वाभाविक परिणाम हो सकती है,लेकिन गठबंधन का आधार केवल सत्ता का गणित न होकर स्पष्ट नीतियाँ और साझा जनहित होना चाहिए। इसी प्रकार चुनावी घोषणापत्रों में किए गए वादों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए,ताकि जनता जान सके कि किन वादों पर अमल हुआ और किन्हें पूरा नहीं किया जा सका।

महात्मा गांधी की राजनीति सत्य, अहिंसा और नैतिकता से प्रेरित थी। उनके लिए राजनीति जनसेवा से अलग कोई गतिविधि नहीं थी। आज राजनीतिक दलों को इस मूल भावना पर विचार करना चाहिए कि क्या उनकी नीतियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है? क्या गरीब, किसान,मजदूर, महिलाएँ,युवा और वंचित समुदाय सम्मानजनक जीवन जीने के अधिक अवसर प्राप्त कर रहे हैं? क्या सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग पारदर्शी और जनहितकारी ढंग से हो रहा है? केवल बड़े धन और प्रचार की क्षमता ही नहीं है,विकास का मूल्यांकन इस आधार पर भी होना चाहिए कि उसका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक किस सीमा तक पहुँचा है।

यहाँ भी ध्यान रखना होगा कि सभी राजनीतिक दलों को एक ही दृष्टि से दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं है। अनेक दलों की वास्तविक गरिमा तभी सुनिश्चित रह सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास तथा जनकल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा यही है कि उपलब्धियों की प्रशंसा निष्पक्षता से

की जाए और कमियों की आलोचना तथ्यों के आधार पर हो। किसी राजनीतिक दल के प्रति समर्थन या विरोध नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है,लेकिन उस आधार पर सत्य और असत्य का अंतर मिटा देना उचित नहीं है। राजनीतिक निष्ठा इतनी प्रबल नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने पसंदीदा दल की गलतियों को देखने से ही इनकार कर दे। लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी केवल राजनीतिक दलों की नहीं, बल्कि नागरिकों की भी है। मतदाताओं को जाति,धर्म,भावात्मक तानों और तात्कालिक लाभ से ऊपर उठकर उम्मीदवारों के कामकाज,ईमानदारी और नीतियों का मूल्यांकन करना चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह सत्ता और विपक्ष दोनों से प्रश्न पूछे तथा तथ्यों पर आधारित जानकारी उपलब्ध कराए। नागरिक समाज,शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को भी लोकतांत्रिक चेतना के विकास में योगदान देना चाहिए। राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है कि वे पारदर्शिता बढ़ाएँ, आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करें, संसद और विधानसभाओं में सार्थक बहस को प्राथमिकता दें तथा जनहित के मुद्दों पर दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सहयोग करें।

अंततः लोकतंत्र की दुर्दशा का समाधान राजनीतिक दलों की संख्या घटाने में नहीं, बल्कि उनकी जवाबदेही बढ़ाने में है। लोकतंत्र में अनेक विचार, अनेक दल और अनेक मत होना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति है। कमजोरी तब उत्पन्न होती है, जब विचारों का स्थान व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ले लेती है, जनसेवा की जगह सत्ता सर्वोपरि हो जाती है और राजनीतिक विरोध सामाजिक शत्रुता में बदलने लगता है। देश को ऐसी राजनीति की आवश्यकता है जिसमें सत्तापक्ष अपनी उपलब्धियों के साथ अपनी कमियों को भी स्वीकार करे, विपक्ष आलोचना के साथ ठोस विकल्प प्रस्तुत करे और प्रत्येक राजनीतिक दल राहिल तथा संविधान की मर्यादा को सर्वोच्च स्थान दे। जनता को भी अपने प्रतिनिधियों से लगातार प्रश्न पूछने और उनके कार्यों की निष्पक्ष समीक्षा करने का अधिकार प्रयोग करना चाहिए। लोकतंत्र की वास्तविक गरिमा तभी सुनिश्चित रह सकती है, जब राजनीतिक दल सत्ता को अधिकार नहीं,उत्तरदायित्व समझें और जनता को मतदाता मात्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र का वास्तविक स्वामी मानें।

महिलाओं का पसीना भी अब उनकी छवि बिगाड़ने लगा है...

एक शोध की चर्चा के मुताबिक, तनाव में महिलाओं के शरीर से निकलने वाले पसीने की गंध पुरुषों को उनके प्रति कम विश्वसनीयता और कम योग्यता का



महु सुभाष
बुढ़ावनवाला
रत्नम,मध्यप्रदेश

एहसास करा सकती है। यानी महिला की काबिलियत का फैसला अब उ स क ी डिग्री,अनुभव और काम से नहीं,उसकी देह से निकलने वाली

गंध से भी होगा। पुरुषों की दुनिया में स्त्री को अपनी योग्यता साबित करने के लिए अभी कितनी परीक्षाएँ देनी बाकी है! अब तक उसके कपड़े, चाल-ढाल,आवाज,हंसी और चरित्र पर फैसले सुनाए जाते थे। लगता है,अब नाक भी अदालत में बैठ गई है।

गजब है! पुरुष पसीना बहाए तो मेहनती,महिला पसीना बहाए तो उसकी छवि सँदिग्ध! पुरुष तनाव में हो तो जिम्मेदारियों का मारा,महिला तनाव में हो तो शायद अयोग्य। पुरुष के माथे पर चमकती बूँदें संघर्ष की कहानी कहती हैं,जबकि महिला के माथे पर उमर आएँ तो उसके व्यक्तित्व का पोर्टफाय्टम शुरू हो जाता है। पसीना एक, शरीर की प्रक्रिया एक,लेकिन फैसला अलग-अलग! पुरुषवादी समाज के न्यायशास्त्र में बराबरी का यही अर्थ है। वैसे विज्ञान की अपनी जगह है। तनाव और शारीरिक मेहनत के दौरान पसीने की प्रकृति तथा गंध में अंतर हो सकता है। लवचा पर मौजूद बैक्टीरिया भी गंध को प्रभावित करते हैं। कुछ प्रयोगों में तनाव से जुड़े

पसीने के नमूनों के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। लेकिन किसी सीमित अध्ययन के निष्कर्ष को हर महिला,हर पुरुष और हर परिस्थिति पर लागू करना वैज्ञानिक समझ नहीं। पसीने की गंध से किसी की वास्तविक योग्यता,ईमानदारी या चरित्र प्रमाणित नहीं होता। समाज का विषय गंध हो सकता है,मगर गंध को चरित्र प्रमाणपत्र बना देना समाज की अपनी सूंघने की समस्या है।

अब सोचिए,नौकरी के इंटरव्यू में बैठी महिला पहले से तनाव में है। सामने बैठे अधिकारी उसके ज्ञान,अनुभव और निर्णय क्षमता को परख रहे हैं। तभी उसके माथे पर पसीने की बूँदें उभर आती हैं। अधिकारी के मन में अगर उसके प्रति नकारात्मक धारणा बनने लगे तो गलती किसकी है? महिला की,जो तनाव में पसीना बहा रही है,या उस व्यवस्था की,जो उसके जवाबों से ज्यादा उसकी देह की गंध पर भरोसा करती है? अब सोचिए,नौकरी के इंटरव्यू में बायोडाटा के साथ डियोडोरेंट का प्रमाण-पत्र भी मांगा जाने लगे तो हेरानी नहीं होनी चाहिए। योग्यता बाद में, खुशबू पहले! स्त्रियों के लिए अपेक्षाओं की सूची पहले ही छोटी नहीं है। सुंदर दिखो, लेकिन सुंदरता पर घमंड मत करो। आत्मविश्वास रखो,लेकिन पुरुषों से ज्यादा आत्मविश्वासी मत दिखो। अपनी बात कहो,लेकिन आवाज ऊंची मत करो। नेतृत्व करो,लेकिन सख्त मत कहलाओ। विरोध करो,लेकिन बद तमीज मत बनो। घर संभालो,नौकरी करो,रिश्ते निभाओ और हर परिस्थिति में चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो। अब इस सूची में एक नई शत और जोड़ दीजिए-तनाव में भी



पसीना इस तरह बहाओ कि किसी की नाक पर आंच न आए! महिला अगर थक जाए तो उसे अपनी दिनचर्या सुधारने की सलाह मिलती है। तनाव में आ जाए तो सकारात्मक रहने का उपाय। गुस्सा करे तो व्यवहार सुधारने की नसीहत। और पसीना बहाए तो स्वच्छता का पाठा समाज उसके संघर्ष के कारण जानने से ज्यादा उसके लक्षणों पर टिप्पणी करने में रुचि रखता है। मर्ज व्यवस्था में है,लेकिन इलाज महिला के डियोडोरेंट से किया जा रहा है! उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो सुबह बच्चों को तैयार करती हैं,बुजुर्गों की देखभाल करती हैं,रसोई संभालती हैं,नौकरी पर जाती हैं और शाम को घर लौटकर दूसरी पारी शुरू करती हैं। खेतों में काम करती मजदूर महिलाएँ, कारखानों में खड़ी कामगार,अस्पतालों में लगातार सेवाएँ देती नर्स और तपती सड़कों पर निर्माण कार्य करती श्रमिकाएँ-इन्के पसीने में क्या है? थकान,मेहनत,जिम्मेदारी या अयोग्यता? उनके पसीने की बू पर नाक सिकोड़ने से पहले क्या हमने उनके श्रम की कीमत पहचानी है?

विडंबना देखिए कि समाज स्त्री के श्रम का लाभ उठाने में संकोच नहीं करता,मगर उसके श्रम से पैदा हुई थकान

स्वीकार करने में उसे परेशानी होती है। उसे काम भी करना है और थकी हुई दिखना भी नहीं है। जिम्मेदारियाँ भी उठानी हैं और तनाव का संकेत भी नहीं देना है। यानी समाज को स्त्री की मेहनत चाहिए,मेहनत के निशान नहीं। और पुरुषों की दुनिया में तनाव का भी अपना रहता है। तैता पसीने से तरबतर होकर भाषण दे तो जनता के लिए संघर्ष कर रहा है। उद्योगपति तनाव में हो तो कारोबार की चुनौतियों से जूझ रहा है। अधिकारी परेशान हो तो व्यवस्था का बोझ उठा रहा है। लेकिन महिला परेशान हो जाए तो उसकी भावनात्मक स्थिरता पर सवाल। पुरुष को परेशानी का परिणाम है,स्त्री की परेशानी उसके त्व व्यक्तित्व का दोष। पुरुष के लिए सहानुभूति का दरवाजा खुला है, स्त्री के लिए सलाहों की खिड़की। यहाँ सवाल उस शोध से नहीं,उसके निष्कर्षों को सनसनी में बदलने वाली मानसिकता से भी है। वैज्ञानिक अध्ययन किसी खास पसीने में बदलने वाली मानसिकता से नहीं,उसके निष्कर्षों को कम सक्षम मान लेते हैं, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह वास्तव में कम सक्षम है। यह भी संभव है कि अध्ययन हमारे पूर्वाग्रहों की ओर संकेत कर रहा हो। दूसरों के बारे में हमारे फैसले कितने सटीक हो सकते हैं, असली चिंता तो यह होनी चाहिए।

लेकिन हमारे समाज को आत्मपरीक्षण से ज्यादा स्त्री-परीक्षण में दिलचस्पी है। महिला क्या पहनती है,कैसे बोलती है, कितना हंसती है,किससे मिलती है,

कितनी देर बाहर रहती है-इन सबका हिसाब रखा जाता है। अब उसकी गंध का हिसाब भी रख लीजिए। फिर किसी दिन शायद यह शोध भी हो कि महिलाओं की सफलता से पुरुषों के अहंकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि उसके लिए प्रयोगशाला की जरूरत नहीं पड़ेगी,आसपास की सामाजिक प्रतिक्रियाएँ ही पर्याप्त नमूने उपलब्ध करा देंगी!

बेशक,स्वच्छता और व्यक्तिगत देखभाल महत्वपूर्ण हैं। लेकिन स्वच्छता की सलाह और किसी की योग्यता पर फैसला सुनाने के बीच फर्क है। पसीना शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तनाव मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया। इन दोनों को चरित्र और काबिलियत का पैमाना बनाना न विज्ञान है,न न्याय। महिलाओं को पहले ही अपनी क्षमता साबित करने के लिए पुरुषों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अब उनसे यह अपेक्षा भी की जाए कि वे तनाव में पसीना बहाते समय अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखें,तो यह अन्याय पर हास्य का मुलुमा चढ़ाने जैसा होगा।

आखिर में सवाल महिलाओं के पसीने का नहीं,पुरुषों की नाक का है। पसीने की गंध कुछ देर में उड़ जाती है,लेकिन पूर्वाग्रहों की बदेबू पीढ़ियों तक बनी रहती है। और अगर किसी महिला की योग्यता उसके काम से नहीं,उसके पसीने से तय होती है,तो समस्या उस महिला के शरीर में नहीं,फैसला सुनाने वाले दिमाग में है। स्त्रियों के पसीने की बू पर नाक सिकोड़ने वालों को पहले अपनी सोच की बदेबू पहचानी चाहिए। क्योंकि पसीना शरीर से निकलता है, मगर सड़ांध अक्सर विचारों में पलती है।-

गया,तो लिफ्ट का पल्ला चीखते हुए खुला। भीतर से सिर्फ एक सर्द,सन्नाटेदार हवा का झोंका बाहर आया। राहुल की गर्दन स्टैचर से नीचे लटक चुकी थी। उसका हाथ अपनी माँ के पल्लू को छोड़े बिना स्थिर हो चुका था। ऑक्सीजन का कांटा शून्य पर गम गया था। निर्मला के हाथ से चूड़ियों के कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। वह कोई चीख नहीं निकाल पाई। उसकी आवाज उस शापट के अंधरे में ही कहीं घुटकर मर चुकी थी। ठीक उसी समय,नीचे भूलत पर कैमरों की सैकड़ों फ्लैशलाइट्स एक साथ चमकीं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने ताल फीता काटा और माइक पर एलान किया,हमारा संकल्प है कि हम राज्य के हर नागरिक को विश्वस्तरीय,बाधा-रहित आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे! और तीसरी मंजिल पर, उस टूटे हुए लोहे के दरवाजे के बाहर,एक अनाथ माँ अपने मुत बेटे के माथे पर हाथ रखे उस कक्रौट के फर्श पर इस तरह बैठी थी मानी समूचे आधुनिक तंत्र की आत्मा पर मातम मारी हो।

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा (अतुम)

लिफ्ट



अफ्रव कराइए। यार,तुमने कभी देखा है कि जब किसी माँ की कोख का चिराग बुझ रहा होता है,तो उस वक्ता डिजिटल पोर्टल पर अनुमोदन की फाइल कितनी नजाकत से रेंगती है?अंदर लोहे के उस बक्से में ऑक्सीजन सिलेंडर की सुई लाल निशान से टकरा चुकी थी। राहुल के होठ नीले पड़ने लगे। उसकी उंगलियां अपनी माँ की साड़ी के पल्लू को कसकर धींचने लगीं। हवा खत्म हो रही थी। शापट की सड़ांध और कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव बढ़ रहा था। निर्मला ने अपने सिर का पल्लू उतारकर

करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर किए और बाहर से लोहे के सबल से दरवाजे को जबरन तोड़ा

करंट कर्मचारियों को, झटका जनता को...

निजीकरण की बहस,कर्मचारियों की हड़ताल और उपभोक्ताओं के अधिकारों के बीच आखिर पिस क्यों रही है आम जनता?

लोकतंत्र में सरकार का सबसे बड़ दायित्व जनता को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। बिजली,पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य,परिवहन और संचार जैसी सेवाएँ किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला होती हैं। इन सेवाओं की गुणवत्ता से ही प्रशासन की कार्यक्षमता और जवाबदेही का पता चलता है। लेकिन जब सरकारी व्यवस्था जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, तो लोग बेहतर विकल्प तलाशने लगते हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। सवाल यह है कि जब सरकारी सेवाओं में सुधार की माँग उठती है और निजी विकल्प सामने आते हैं,तो बहस का केंद्र जनता को मिलने वाली सुविधा के बजाय निजीकरण का विरोध ही क्यों बन जाता है?

भारत का दूरसंचार क्षेत्र इसका एक प्रमुख उदाहरण है।कभी बीएसएफएल देश की संचार व्यवस्था का प्रमुख आधार था, लेकिन बदलती तकनीक,निवेश, प्रतिस्पर्धा और सेवाओं की गुणवत्ता के बीच जियो और एयरटेल जैसी निजी कंपनियों ने बाजार में अपनी मजबूत जगह बनाई। डाक विभाग के सामने निजी कूरियर कंपनियों का विस्तार हुआ। सरकारी विद्यालयों की सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर उठने वाले सवालों के बीच निजी स्कूलों की लोकप्रियता बढ़ी। सरकारी अस्पतालों में लंबी प्रतीतों और संसाधनों की कमी से परेशान अनेक लोगों ने निजी अस्पतालों का रुख किया।

इन उदाहरणों का अर्थ यह नहीं है कि सरकारी संस्थान अप्रासंगिक हो गए हैं या निजी क्षेत्र हमेशा बेहतर सेवाएँ देता है। सरकारी संस्थानों ने दूर-दराज के क्षेत्रों तक सुविधाएँ पहुँचाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र में महँगी सेवाओं,मुनाफे की प्राथमिकता और उपभोक्ताओं की आर्थिक क्षमता के आधार पर सुविधाओं में अंतर जैसी चुनौतियाँ भी हैं। इसलिए असली सवाल सरकारी बनाम निजी का नहीं, बल्कि बेहतर, सुलभ, किफायती और जवाबदेह सेवाओं का है। यही कसौटी बिजली

व्यवस्था पर भी लागू होती है। आम नागरिक के लिए बिजली कोई विलासिता नहीं,बल्कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। बच्चों की पढ़ाई,किसानों की सिंचाई, छोटे दुकानदारों का कारोबार, उद्योगों का उत्पादन और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल-सब कुछ किसी न किसी रूप में बिजली पर निर्भर है। बिजली की आपूर्ति बाधित होने का अर्थ केवल घर में अंधेरा होना नहीं है। इससे कामकाज रुकता है,आर्थिक नुकसान होता है और सामान्य जीवन प्रभावित होता है।

उपभोक्ता हर हमने बिजली का बिल भरता है। बदले में उसकी अपेक्षा होती है कि उसे निर्धारित दरों पर भरोसेमंद आपूर्ति मिले। उसे इस बात से कम मतलब है कि बिजली की व्यवस्था सरकारी हथों में है या निजी क्षेत्र के पास। उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि घर में पंखा चले,पानी की मोटर काम करे,बच्चे पढ़ सकें और कारोबार बिना अनावश्यक रुकावट के चलता रहे। जब बिल न भरने पर उपभोक्ता को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, तो सेवा बाधित होने पर संबंधित व्यवस्था की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

हरियाणा सहित देश के कई हिस्सों में बिजली क्षेत्र के निजीकरण और कर्मचारी संगठनों की माँगों को लेकर बहस होती रही है। निजीकरण के समर्थक बेतार प्रबंधन,निवेश,तकनीकी सुधार और कार्यकुशलता की उम्मीद करते हैं। वहीं कर्मचारियों संगठनों की माँगों को लेकर बहस हमेशा चल रही है। निजीकरण से राजाज रहती है कि निजीकरण से ओशरण की सुरक्षा,सेवा शर्तों,कर्मचारियों के अधिकारों और उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन आशंकाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बिजली जैसी आवश्यक सेवा में किसी भी बड़े बदलाव से पहले उसके आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक प्रभावों का आकलन जरूरी है। निजीकरण अपने आप में न तो सभी समस्याओं का समाधान है और न ही हर परिस्थिति में उसका विरोध समस्याओं का हल। यदि सरकारी व्यवस्था में कमियाँ हैं, तो उन्हें दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि निजी क्षेत्र को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो उसकी सेवाओं, दरों और कार्यप्रणाली पर प्रभावी निगरानी भी जरूरी है।

डॉ. प्रियंका सौरभ,हिसार,हरियाणा

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पदक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक छवें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। सभी विवादों का निपटारा अंबिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक



- पहले मां की हत्या, फिर बेटे का कत्ल
- रंजिश नहीं, सिर्फ पैसे का लालच?
- खाते में आने वाली रकम के लिए हत्या क्यों?
- 12 दिन बाद हुआ खुलासा
- पुलिस की कहानी में कई अनुत्तरित सवाल

19 लाख के लोन का लालच या कुछ और? मां-बेटे की हत्या में पुलिस के खुलासे पर सवाल मां-बेटे की हत्या का राज खुला,लेकिन वारदात की कहानी अब भी उलझी! पुलिस के दावों पर उठे सवाल 12 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार,डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाने का दावा; पुलिस की कहानी पर सवाल बरकरार...

19 लाख के लोन की रकम के लिए मां-बेटे की हत्या! पुलिस की कहानी में कई सवाल,12 दिन बाद हुआ डबल मर्डर का खुलासा...

खाते में आने वाली रकम के लिए हत्या क्यों? मां-बेटे के कत्ल की पुलिसिया कहानी पर उठे सवाल...

रंजिश नहीं,सिर्फ पैसे का लालच! फिर मां-बेटे की हत्या तक कैसे पहुंचा आरोपी...पुलिस के खुलासे पर सवाल...

पहले मां की हत्या,फिर बेटे का कत्ल... 12 दिन बाद खुलासा,लेकिन कई सवाल अब भी बाकी....

डबल मर्डर का खुलासा तो हुआ,पर कहानी के सवाल बाकी! 19 लाख के लोन के लिए मां-बेटे की हत्या का दावा

पुलिस ने खोल दी डबल मर्डर की फाइल,लेकिन सवालों की ग्रांठ अब भी नहीं खुली!

लोन की रकम खाते में थी,फिर हत्या से क्या मिलता? मां-बेटे के कत्ल की कहानी में यही सबसे बड़ा सवाल...

एक हत्या के बाद दूसरी हत्या क्यों? पुलिस के खुलासे में मकसद और घटनाक्रम पर सवाल...

आरोपी पकड़ा गया,कहानी सामने आई—पर क्या हर सवाल का जवाब मिल गया?

सूरजपुर डबल मर्डर पर उठे सवाल...

—ऑफ़र पाण्डेय—

सूरजपुर/विश्रामपुर,23 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

एक शिक्षिका की घर के भीतर हत्या, उसके बेटे का शव जंगल के पास सड़क किनारे नाली में मिला। और करीब दो दिन तक मां-बेटे का कोई पता नहीं चलना—इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। पुलिस ने मामले के खुलासे का दावा करते हुए प्रवेश कुमार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है,पुलिस के अनुसार, आरोपी की शिक्षिका रजनी बोरट से पहले से जान-पहचान थी,उसे कथित तौर पर जानकारी थी कि रजनी करीब 19 लाख रुपये का लोन

दो अलग-अलग स्थानों पर मिले मां-बेटे की हत्या के मामले

पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,10 अक्टूबर 2026 को ग्राम महाबौरपुर के सरपंच महेश प्रसाद ने थाना जयनगर पुलिस को सूचना दी कि कोरयाबारी नर्सरी जंगल के पास कच्ची सड़क किनारे बनी नाली में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है,पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया,बाद में अविनाश बोरट ने मृतक की पहचान अपने भांजे सुजल बोरट के रूप में की,शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक ने मृत्यु को हत्यात्मक बताया,पुलिस के मुताबिक,मृतक के सिर और छाती पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई थी,इसके बाद 11 अक्टूबर को थाना जयनगर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज किया गया,इसी बीच,सुजल की मां रजनी बोरट के लापता होने की जानकारी सामने आई,रजनी शिक्षिका थीं और अपने बेटे के साथ विश्रामपुर क्षेत्र की ममता कॉलोनी,केशवनगर में किराये के मकान में रहती थीं,उनके भाई अविनाश बोरट ने पुलिस को बताया कि 9 अक्टूबर से रजनी का मोबाइल बंद आ रहा था,जब वह विश्रामपुर पहुंचे तो उन्हें सुजल की हत्या की जानकारी मिली,रजनी के किराये के मकान में बाहर से ताला लगा हुआ था,पुलिस के साथ 11 अक्टूबर की रात करीब दो बजे मकान का ताला खुलाकर अंदर प्रवेश किया गया,जहां रजनी का शव बाथरूम में पड़ा मिला,शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आने पर थाना विश्रामपुर में अपराध क्रमांक 257/2026 के तहत धारा 103(1) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया,इस तरह एक ही परिवार के दो सदस्यों की हत्या के मामले दो अलग-अलग थानों में दर्ज हुए। एक शव जंगल के पास मिला, जबकि दूसरा किराये के मकान के भीतर,पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों घटनाओं को जोड़कर हत्यारे तक पहुंचना था।

लेने वाली है,इसी रकम की जरूरत और लालच को पुलिस ने हत्या की वजह बताया है। लेकिन मामले का खुलासा होने के बाद भी कुछ सवाल अपनी जगह काममें हैं,यदि आरोपी को पैसे की जरूरत थी और उसे जानकारी थी कि रकम रजनी के खाते में आने वाली है,तो क्या केवल इस जानकारी के आधार पर मां-बेटे की हत्या करने की वजह पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है? क्या आरोपी ने रकम हासिल करने के लिए कोई अन्य तरीका अपनाने की कोशिश की थी? पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में जिस घटनाक्रम का उल्लेख है,उसमें इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने नहीं आते,यह जरूर है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज,कार और कथित तौर पर बरामद सामान के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का दावा किया है,फिलहाल,पुलिस की कहानी और उपलब्ध तथ्यों के बीच उठ रहे सवालों का अंतिम जवाब विस्तृत विवेचना, बरामदगी के वैज्ञानिक परीक्षण और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों से ही सामने आएगा,आरोपी को खिलाफ लगाए गए आरोपों को अदालत में सिद्ध होना अभी बाकी है।

सीसीटीवी फुटेज से खुला सुराग,कार तक पहुंची पुलिस—पुलिस के मुताबिक,दोहरे हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देशन और सूरजपुर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल की निगरानी में जांच शुरू की गई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन और एसडीओपी अभिषेक पैकरा के मार्गदर्शन में संयुक्त पुलिस टीम तथा साइबर सेल

अंबिकापुर ने जांच को आगे बढ़ाया,विवेचना के दौरान शहर के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई,पुलिस का दावा है कि एक फुटेज में काली टी-शर्ट और सफेद गमछ पहने एक व्यक्ति रजनी के किराये के मकान की ओर जाता दिखाई दिया,वह वहां काफी देर तक रुका था,दूसरे फुटेज में इसी तरह के कपड़े पहने एक व्यक्ति विश्रामपुर के कार वॉशिंग सेंटर पर कार धुलवाने पहुंचा था,जांच आगे बढ़ने पर कार का पंजीयन क्रमांक सीजी 15 ईजी 7101 सामने आया,पुलिस ने वाहन के मालिक और उससे जुड़े व्यक्ति की जानकारी जुटाई तथा संधिध प्रवेश कुमार से पूछताछ की, पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार,पूछताछ के दौरान उसने रजनी और सुजल की हत्या करना स्वीकार किया,यहां जांच का महत्वपूर्ण पहलू सीसीटीवी फुटेज,संधिध के आवागमन और कार की पहचान का आपसी संबंध है,पुलिस ने इन्हीं कड़ियों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की बात कही है,हालाकि,फुटेज की प्रमाणिकता, घटनाक्रम से उसका संबंध और अन्य भौतिक साक्ष्यों की भूमिका का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया में होगा।

पुलिस के मुताबिक,19 लाख रुपये के लोन की जानकारी थी आरोपी को—पुलिस की कहानी का केंद्रीय बिंदु कथित आर्थिक लालच है,प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी की पत्नी और रजनी बोरट एक ही स्कूल में शिक्षिका थीं,इसी परिचय के कारण आरोपी का रजनी के घर आना-जाना था,पुलिस का कहना है कि आरोपी ने मोटर पार्ट्स व्यवसाय

के लिए 20 लाख रुपये का लोन लिया था और उसे पैसे की जरूरत थी,पुलिस के मुताबिक, आरोपी को पहले से जानकारी थी कि रजनी करीब 19 लाख रुपये का लोन लेने वाली है और रकम उनके खाते में आने वाली है,इसी पैसे की जरूरत को पुलिस ने वारदात की वजह बताया है,लेकिन इस दावे के साथ ही सबसे अहम सवाल सामने आता है—यदि रकम रजनी के बैंक खाते में आने वाली थी,तो उसे हासिल करने की आरोपी की कथित योजना क्या थी? क्या उसने पैसे देने के लिए दबाव बनाया था? क्या उसने रकम तक पहुंचने के लिए किसी दस्तावेज,बैंक खाते या अन्य माध्यम का इस्तेमाल करने की कोशिश की? पुलिस विज्ञप्ति में इन पहलुओं का विस्तार से उल्लेख नहीं है, पुलिस के अनुसार,आरोपी ने रजनी से पैसे मांगे और उनके मना करने पर विवाद हुआ,इसके बाद उसने कथित रूप से हमला कर उनकी हत्या कर दी,मगर पैसे के लिए विवाद होने का दावा और मां-बेटे दोनों की हत्या के पीछे की पूरी मंशा—ये दो अलग-अलग प्रश्न हैं, दूसरे प्रश्न का जवाब जांच में सामने आने वाले अतिरिक्त साक्ष्यों से ही स्पष्ट हो सकेगा।

पहले मां की हत्या,फिर बेटे को रास्ते से हटाने की कथित योजना—पुलिस विज्ञप्ति में दिए गए घटनाक्रम के अनुसार,9 अक्टूबर को आरोपी अपनी कार धुलवाने के लिए विश्रामपुर के वॉशिंग सेंटर पहुंचा,कार को अंदर-बाहर धुलवाने की बात कहने के बाद वह पैदल रजनी के घर गया,पुलिस का कहना है कि उसने पहले सुजल से मोबाइल चार्जर मांगा और वहां से चला गया,फिर दोबारा घर पहुंचा और कुछ समय तक रुका रहा,विज्ञप्ति के मुताबिक,शाम को रजनी ड्यूटी से घर लौटी और बाद में सुजल टयूशन के लिए निकल गया,इसके बाद आरोपी ने रजनी से पैसे मांगे। पुलिस का दावा है कि रजनी ने रकम देने से मना किया,जिसके बाद आरोपी ने उनके साथ मारपीट की,कथित तौर पर स्टील की पानी की बोतल से सिर पर वार किया गया,रजनी के मुख्य दरवाजे की ओर भागने पर उन्हें खींचकर बाथरूम की ओर ले जाने और गला दबाकर हत्या करने की बात भी पुलिस ने कही है, पुलिस के अनुसार,घटना के बाद आरोपी ने घर में बिखरे सामान को व्यवस्थित किया और रजनी का स्टील लेकर बाहर निकल गया, इसके बाद उसने सुजल को भी रास्ते से हटाने की योजना बनाई,क्योंकि उसे आशंका थी कि सुजल घटना के बारे में दूसरों को बता सकता है,इस दावे के आधार पर पुलिस मां और बेटे की हत्या को एक ही घटनाक्रम से जोड़ रही है, हालांकि,कथित योजना, आरोपी की मंशा और घटनाओं के समयक्रम को पुष्ट करने वाले

साक्ष्यों का महत्व जांच में निर्णायक होगा।

कार से ले गया सुजल को, जंगल में हत्या करने का आरोप—पुलिस के अनुसार, आरोपी ने चेहरा सफेद गमछ से ढका और हेलमेट पहनकर रजनी की स्कूटी का इस्तेमाल किया,बाद में स्कूटी को पेट्रोल पंप के आगे खड़ा कर हेलमेट झाड़ियों में फेंकने और वॉशिंग सेंटर के पास लौटने की बात सामने आई है, विज्ञप्ति में बताया गया है कि आरोपी कार लेकर रजनी के घर की ओर जाने वाले तिराहे पर पहुंचा और करीब एक घंटे तक इंतजार किया, रात लगभग नौ बजे सुजल घर लौटा तो आरोपी ने उसे बताया कि उसकी मां उसके घर पर है। इसके बाद वह सुजल को कार से लेकर निकला, पुलिस का दावा है कि आरोपी सुजल को कुदवा की ओर ले गया और फिर अंबिकापुर की तरफ घूमते हुए राई जंगल पहुंचा,वहां बाथरूम जाने के बहाने कार से उतरने के बाद उसने कथित तौर पर सुजल का गला स्टील से कसा और मुक्के मारे,सुजल के भागने की कोशिश करने पर सड़क किनारे पड़े सीमेंट के खंभे के टुकड़े से उसके सिर और छाती पर वार किया गया,पुलिस के अनुसार,हत्या के बाद शव को कार में रखकर ठिकाने लगाने के लिए अलग-अलग स्थानों की तलाश की गई,बाद में शव को कोरयाबारी नर्सरी जंगल के पास सड़क किनारे नाली में फेंक दिया गया,यही वह स्थान था, जहां 10 अक्टूबर को सुजल का शव मिला,इस घटनाक्रम में पुलिस ने कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए वाहन,सीमेंट के टुकड़े और अन्य वस्तुओं को महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया है। इन वस्तुओं पर फॉरेंसिक परीक्षण और अन्य साक्ष्यों से मिलने वाला निष्कर्ष मामले को मजबूत करने में अहम हो सकता है।

मोबाइल, पहचान पत्र और आभूषण बरामद करने का दावा—पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद सुजल के दो मोबाइल फोन आरोपी के घर के किचन की दराज से बरामद किए गए,रजनी का मोबाइल अंबिकापुर स्थित आरोपी के ससुराल से मिलने की बात कही गई है,पुलिस ने वहां से रजनी का आधार कार्ड,पैन कार्ड,वेक,ड्राइविंग लाइसेंस,मतदाता पहचान पत्र,एटीएम कार्ड तथा सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद करने का दावा किया है,इसके अलावा आरोपी की निशानदेही पर राई जंगल से सुजल की एक चप्पल,घटना में प्रयुक्त ग्रैंड विटारा कार,सीमेंट के खंभे का टुकड़ा और रजनी के सिर पर कथित रूप से वार करने में इस्तेमाल की गई स्टील की पानी की बोतल जब्त किए जाने की जानकारी दी गई है, पुलिस का कहना है कि आरोपी ने घटना के बाद कार को धुलवाया और कार की मेट, जिस पर खून लगा होने की बात कही गई,उसे जला दिया।

यदि इन दावों की पुष्टि वैज्ञानिक जांच से होती है तो ये साक्ष्य घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

12 दिन बाद खुलासे के दावे पर सवाल से ज्यादा जरूरी है साक्ष्यों की मजबूती— पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार,आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है,हालाकि,हत्या की घटना 9 अक्टूबर की बताई गई है,सुजल का शव 10 अक्टूबर को मिला और मां रजनी का शव 11 अक्टूबर की रात बरामद हुआ,इस प्रकरण में केवल गिरफ्तारी को अंतिम निष्कर्ष मानना जल्दबाजी होगी,पुलिस के दावे के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया है, लेकिन अदालत में स्वीकारोक्ति का कानूनी महत्व उसके स्वरूप और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, मामले में सीसीटीवी फुटेज, वाहन की पहचान,बरामद मोबाइल फोन, कथित हथियार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच जैसे स्वतंत्र साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे,दूसरी ओर, आर्थिक लालच को हत्या की वजह बताने वाली पुलिस की कहानी में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि कथित तौर पर लोन की रकम पाने के लिए आरोपी ने क्या कदम उठाए और मां-बेटे की हत्या की योजना किस तरह बनी,इन प्रश्नों का उत्तर मिले बिना मामले की पूरी पृष्ठभूमि को समझना कठिन रहेगा।

दो परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़, जांच के निष्कर्ष का इंतजार—रजनी बोरट और उनके बेटे सुजल की हत्या ने परिवार और परिचितों को गहरे सदमे में डाल दिया है,एक ओर घर के भीतर शिक्षिका की हत्या हुई,दूसरी ओर बेटे के बच जंगल के पास मिला, घटनाओं के बीच चर्चा स्थापित करने और आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कई स्तरों पर जांच की,पुलिस की कार्रवाई में विश्रामपुर, जयनगर और झिलमिली थानों के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ साइबर सेल अंबिकापुर की टीम शामिल रही,पुलिस विज्ञप्ति में थाना प्रभारियों, विवेचना अधिकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है,अब इस मामले में आगे की विवेचना और न्यायालयीन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी, क्या बरामद साक्ष्य पुलिस की कहानी की पुष्टि करते हैं? क्या लोन की रकम ही कथित हत्या का वास्तविक कारण थी? और क्या घटनाक्रम की सभी कड़ियां वैज्ञानिक साक्ष्यों से जुड़ पाएंगी? इन प्रश्नों के उत्तर जांच और अदालत की कार्यवाही से सामने आएंगे, फिलहाल,पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दोहरे हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है,लेकिन न्याय की कसौटी पर सबसे अहम होगा—दावों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले ठोस,स्वतंत्र और वैज्ञानिक साक्ष्य।

महुआ कारोबारी से 12.54 लाख रुपये की धोखाधड़ी,तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज

तीन दिन में भुगतान का दिया था आश्वासन,महुआ खरीदने के बाद रकम देने से किया इनकार

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,23 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

शहर के रायगढ़ रोड स्थित श्री हरि ट्रेडिंग के संचालक से 12 लाख 54 हजार 330 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महुआ खरीदने के बाद भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने रमेश अग्रवाल,किशन अग्रवाल और विनय कुमार चौधरी को खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार,श्री हरि ट्रेडिंग के संचालक नितेश कुमार अग्रवाल ने शिकायत में बताया कि 19 मई 2025 को रमेश अग्रवाल निवासी कटघोरा और किशन अग्रवाल निवासी बिलासपुर के लिए 12 लाख 54 हजार 330 रुपये का महुआ खरीदा गया था। आरोप है कि दोनों ने तीन दिन के भीतर पूरी रकम का भुगतान करने का आश्वासन दिया था। निर्धारित समय बीतने के बाद जब नितेश ने भुगतान की मांग की,तो रमेश और किशन ने बताया कि उन्होंने महुआ विनय कुमार चौधरी से भुगतान मांगा तो उसने यह कहते हुए रकम देने से इनकार कर दिया कि वह नितेश को नहीं जानता, बल्कि रमेश और किशन को जानता है। नितेश का आरोप है कि तीनों ने मिलकर महुआ की खरीदी के



नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की है। महुआ की आपूर्ति के बाद से अब तक उसे भुगतान नहीं मिला है। शिकायत में विनय कुमार चौधरी पर एक अन्य कारोबारी से भी लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, विनय ने अंबिकापुर के हनुमंत ट्रेडर्स के संचालक नरेंद्र अग्रवाल से कथित तौर पर 18 लाख रुपये का महुआ और 30 लाख रुपये का मक्का खरीदा था। आरोप है कि इसके बाद दुकान और मोबाइल नंबर बंद कर वह गायब हो गया। इस मामले में कुल 48 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। फिलहाल,पुलिस ने नितेश अग्रवाल की शिकायत पर 12.54 लाख रुपये के मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामले में आरोपों की जांच और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बस हादसे के मृतकों के घर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री,परिजनों को दी सांत्वना

प्रत्येक मृतक परिवार को 25 हजार रुपये की सहायता,मुख्यमंत्री की ओर से 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा



—संवाददाता—

एमसीबी,23 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

मनेंदगढ़-केल्हारी मार्ग पर पहाड़हंसवाही के पास हुए दर्दनाक बस हादसे में छह यात्रियों की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे, उन्होंने मृतकों के घर-घर जाकर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की,मंत्री ने कहा कि अपनों को खोने का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता,इस कठिन समय में शासन और प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।

हादसे में ग्राम रोझी (पर्वड बहरा) के पंचमार (65 वर्ष), मधु एवं पूर्णिमा उर्फ नेहा, ग्राम कछीड (गुडरूपारा) की सीता, ग्राम मनवारी के सिपाहीलाल तथा केवटी (भालुडांड) की सुकारो की मृत्यु हुई है, मंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की, इसके अतिरिक्त ग्राम रोझी निवासी सुकीता, पति अमरसाय,को 10 हजार रुपये की सहायता दी गई।

मुख्यमंत्री की ओर से 5-5 लाख रुपये की सहायता—स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्घटना में मृत प्रत्येक यात्री के परिवार को पांच-पांच



लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है,मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों तक शासन का संदेश पहुंचाने और हरसंभव सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

दुर्घटनास्थल का निरीक्षण,सड़क सुधार के निर्देश—मंत्री ने पहाड़हंसवाही के पास दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से हादसे की परिस्थितियों की जानकारी ली,उन्होंने सड़क की स्थिति और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीरता बरतने के निर्देश दिए,क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को

मजबूत करने के लिए उन्होंने तीन सड़कों के मुरमीकरण कार्य को स्वीकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही केल्हारी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित बिहारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एंफुलेस उपलब्ध कराने की घोषणा की,इससे आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है,इस दौरान कलेक्टर संतन देवी जांगड़े,जिला पंचायत सीडीओ अंकिता सोम,पूर्व संसदीय सचिव पांसेवी पावले,अपर कलेक्टर नम्रता डोगरे, एसडीएम शशि शेखर मिश्रा,सीएमएचओ डॉ. अविनाश खरे सहित जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



विकास की उम्मीदों पर अधिकारीशाही भारी? पटना नगर पंचायत में खरीदी और निर्माण कार्यों पर उठा सवाल

नवगठित नगर पंचायत पटना में विकास या खरीदी के नाम पर खेल? प्रभारी अधिकारी की कार्यप्रणाली पर उठा सवाल

-रवि सिंह-

कोरिया/पटना, 23 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

जिस उम्मीद के साथ ग्राम पंचायत से नगरीय निकाय का स्वरूप पाने वाली पटना की जनता ने अपने क्षेत्र के विकास का सपना देखा था, क्या वह सपना अधिकारियों की कार्यप्रणाली के बीच दम तोड़ रहा है? क्या नगर पंचायत के गठन के शुरुआती दौर से ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा अधिकारियों का दबदबा अधिक रहा है? पटना नगर पंचायत की हालिया गतिविधियों और खरीदी-निर्माण कार्यों को लेकर सामने आ रहे आरोपों ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं, नगर पंचायत में लाखों रुपये के फर्नीचर, वाहनों सहित अन्य सामग्रियों की खरीदी और विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर अब जांच की मांग उठने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।

नगर पंचायत पटना के गठन के पीछे मूल उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, व्यवस्थित विकास को गति देना और क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना था, लोगों की उम्मीद थी कि नगरीय निकाय बनने के बाद सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं में सुधार होगा, लेकिन आरोप हैं कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और खरीदी की उपयोगिता से जुड़े सवालों के बजाय नगर पंचायत की कार्यप्रणाली अधिकारियों के प्रभाव और कथित मनमानी को लेकर चर्चा में है।

पहले अधिकारी के निलंबन की पृष्ठभूमि, अब नए प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल

नगर पंचायत पटना में अधिकारियों की भूमिका को लेकर चर्चा कोई नई नहीं बताई जा रही है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत के प्रथम अधिकारी को निलंबन के बाद पद से हटना पड़ा था, उनके कार्यकाल को लेकर भी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे, हालांकि, उन आरोपों की प्रकृति, जांच के निष्कर्ष और निलंबन के अधिकारिक कारणों की स्वतंत्र पुष्टि हो चुकी थी, पहले अधिकारी के कार्यकाल से जुड़ी घटनाओं के बाद नगरवासियों की उम्मीद थी कि नए अधिकारी के आने से निकाय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, लोगों को लगा था कि खरीदी और निर्माण कार्यों में नियमों का पालन होगा तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका को उचित महत्व मिलेगा, लेकिन अब नए प्रभारी अधिकारी की कार्यशैली को लेकर भी असंतोष की बातें सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से आरोप

लगाए जा रहे हैं कि नगर पंचायत में हाल के दिनों में हुई खरीदी और कराए जा रहे निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, इन आरोपों की वास्तविकता का निर्धारण दस्तावेजों, निविदा प्रक्रिया, स्वीकृति आदेशों, भुगतान अभिलेखों और मौके पर किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर ही हो सकता है।

लाखों के फर्नीचर की खरीदी पर सवाल, उपयोगिता और कीमत की जांच जरूरी

नगर पंचायत में हालिया समय में की गई फर्नीचर खरीदी को लेकर सबसे अधिक सवाल उठाए जा रहे हैं, सूत्रों के अनुसार, लाखों रुपये के फर्नीचर खरीदे गए हैं, आरोप है कि खरीदे गए सामान की वास्तविक उपयोगिता और उसकी कीमत का परीक्षण किया जाना चाहिए, इस मामले में कुछ बुनियादी सवाल महत्वपूर्ण हैं की फर्नीचर की खरीदी किस स्वीकृति के तहत की गई? क्या इसके लिए नियमानुसार कोटेशन या निविदा प्रक्रिया अपनाई गई? खरीदी गई सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता क्या है? बाजार मूल्य की तुलना में भुगतान की गई राशि कितनी है? क्या सामान का विधिवत स्टॉक रजिस्टर में संधारण किया गया और उसका उपयोग नगर पंचायत के कार्यालयों में हो रहा है? इन सवालों का जवाब संबंधित अभिलेखों और भौतिक सत्यापन से मिल सकता है, यदि खरीदी प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ है या भुगतान और वास्तविक सामग्री के मूल्य में अंतर पाया जाता है, तो जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, इसलिए इस पूरे मामले में दस्तावेज आधारित जांच आवश्यक है।

वाहनों और अन्य सामग्रियों की खरीदी भी जांच के दायरे में आए

फर्नीचर के अलावा नगर पंचायत में वाहनों सहित अन्य सामग्रियों की खरीदी किए जाने की जानकारी भी सामने आई है, ऐसे में सवाल केवल एक मद की खरीदी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि पूरे वित्तीय प्रबंधन और खरीद

प्रक्रिया की समीक्षा जरूरी हो जाती है, यह स्पष्ट होना चाहिए कि वाहनों और अन्य सामग्रियों की खरीदी किस आवश्यकता के आधार पर की गई, उनके लिए बजट कहां से स्वीकृत हुआ, खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं और भुगतान के बाद सामान की प्राप्ति तथा उपयोग का रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं? नगर पंचायत जैसे नवगठित निकाय के लिए प्रत्येक खर्च का महत्व है, सीमित संसाधनों के बीच यदि अनावश्यक या अधिक मूल्य पर खरीदी की जाती है, तो इसका सीधा असर उन विकास कार्यों पर पड़ सकता है जिनकी जरूरत आम नागरिकों को है। इसलिए खरीदी की आवश्यकता, लागत, गुणवत्ता और उपयोगिता का मूल्यांकन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों की निधि से खरीदी और निर्माण कार्यों पर भी स्पष्टता जरूरी

नगर पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की निधियों से खरीदी और निर्माण कार्य कराए जाने की बात भी

विकास के नाम पर खर्च, लेकिन जनता को जवाब कौन देगा?

नगर पंचायत के गठन के साथ नागरिकों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं, नगरीय निकाय बनने के बाद लोगों को उम्मीद रहती है कि योजनाबद्ध तरीके से विकास होगा और स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन यदि खरीदी और निर्माण कार्यों को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, तो जनता का भरोसा प्रभावित होना स्वाभाविक है, नगर के विकास के लिए बजट खर्च करना अपने आप में उपलब्धि नहीं है, असली कसौटी यह है कि खर्च के बदले नागरिकों को क्या सुविधा मिली, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता कैसी रही और खरीदी गई सामग्री कितनी उपयोगी साबित हुई, कार्यालय में फर्नीचर या वाहन आ जाने भर से विकास का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचे और हर खर्च का हिसाब उपलब्ध हो, ऐसे में नगर पंचायत के प्रभारी अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को चाहिए कि वे खरीदी तथा निर्माण कार्यों से जुड़े सवालों पर तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करें, पारदर्शिता से ही यह तय हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी उठ रहा है सवाल

नगर पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर भी चर्चा हो रही है, आरोप हैं कि निकाय की कार्यप्रणाली में अधिकारियों का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है, जबकि जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं और आपत्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, हालांकि, जनप्रतिनिधियों की वास्तविक भूमिका का आकलन करने के लिए परिषद की बैठकों की कार्यवाही, प्रस्तावों, स्वीकृतियों, आपत्तियों और निर्णयों के अभिलेख देखना जरूरी है, यदि किसी खरीदी या निर्माण कार्य पर जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो उसका विवरण सामने आना चाहिए, इसी तरह, यदि परिषद से कार्य हुए हैं, तो संबंधित प्रस्ताव और स्वीकृति भी सार्वजनिक होनी चाहिए, नगर पंचायत की व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों-दोनों की जिम्मेदारी है, अधिकारियों का दायित्व नियमों के अनुरूप योजनाओं को लागू करना है, जबकि जनप्रतिनिधियों की भूमिका जनता की जरूरतों को सामने रखना और विकास कार्यों की निगरानी करना है, दोनों के बीच पारदर्शी समन्वय के बिना नगर के संतुलित विकास की कल्पना अधूरी रह सकती है।

निष्पक्ष जांच से ही साफ होगी तस्वीर

पटना नगर पंचायत में खरीदी और निर्माण कार्यों को लेकर सामने आए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, जांच में हालिया फर्नीचर खरीदी, वाहनों और अन्य सामग्रियों की खरीद, जनप्रतिनिधियों की निधि से कराए गए कार्यों तथा संबंधित भुगतान अभिलेखों की समीक्षा की जा सकती है, जांच के दौरान स्वीकृति आदेश, बजट प्रावधान, निविदा या कोटेशन, तुलनात्मक दर पत्रक, आपूर्ति बिल, स्टॉक रजिस्टर, भुगतान विवरण, कायादेश, माप पुस्तिका और निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन महत्वपूर्ण होगा, यदि जांच में अनियमितता प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जानी चाहिए, यदि आरोप तथ्यहीन पाए जाते हैं, तो यह स्थिति भी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक की जानी चाहिए, नगर पंचायत के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनके निकाय में सार्वजनिक धन किस मद में, किस प्रक्रिया से और किस परिणाम के लिए खर्च किया जा रहा है, इसलिए मामले को केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रखने के बजाय दस्तावेजों के आधार पर पारदर्शी जांच और तथ्यात्मक जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

गठन का उद्देश्य विकास... न कि विवादों में उलझना...

पटना को नगरीय निकाय का दर्जा मिलने के पीछे स्थानीय विकास और बेहतर सुविधाओं की अपेक्षा थी, लोगों ने जिस उम्मीद के साथ इस बदलाव को स्वीकार किया, उस उम्मीद पर खरा उतरना नगर पंचायत की सामूहिक जिम्मेदारी है, यदि शुरुआत के वर्षों में ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली, खरीदी और निर्माण कार्यों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय गंभीरता से लिया जाना चाहिए, भ्रष्टाचार, फर्नीचर और अन्य सामग्रियों की खरीदी तथा निर्माण कार्यों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, ऐसे में सबसे जरूरी है कि संबंधित अधिकारी अपना पक्ष रखें, अभिलेखों के आधार पर स्थिति स्पष्ट हो और सक्षम स्तर पर जांच कराई जाए, अंततः पटना नगर पंचायत की सफरता का पैमाना अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों का प्रभाव नहीं, बल्कि नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं, खर्च की पारदर्शिता और विकास कार्यों की गुणवत्ता होना चाहिए।

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला कोरिया के 58 राज्य पुरस्कार से सम्मानित

-संवाददाता-
बैकुंठपुर, 23 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ जिला संघ कोरिया के तत्वावधान में दिनांक 22 अक्टूबर 2026, दिन गुरुवार को शांति गार्डन खांडा, बैकुंठपुर में राज्य पुरस्कार अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, समारोह में सत्र 2023-24 एवं 2024-25 के कुल 58 स्काउट्स एवं गाइड्स को राजभवन से प्राप्त राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो ससम्मान प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्माननीय राजीव पाठक जिला अध्यक्ष भारत स्काउट्स एवं गाइड्स कोरिया उपस्थित रहे, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला आयुक्त स्काउट जितेन्द्र

कुमार गुप्ता, सहायक संचालक कौशिक भद्रा तथा राज्य मुख्यालय आयुक्त शैलेंद्र कुमार मिश्रा मंचासीन रहे, समारोह में अतिथियों ने राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्काउट्स एवं गाइड्स को बधाई देते हुए कहा कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा भावना, नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता एवं राष्ट्रप्रेम विकसित करने वाला महत्वपूर्ण संगठन है, राज्य पुरस्कार प्राप्त करना स्काउट्स गाइड्स के 30 महीने की सेवा, मेहनत, लगन, नियमित प्रशिक्षण एवं समर्पण का प्रतीक है, उन्होंने सभी प्रतिभागियों से समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया, तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों के करकमलों से 58 स्काउट्स गाइड्स को राज्यपाल प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो ससम्मान प्रदान किया गया।

जिले के पदाधिकारी एवं स्काउटर गाइडर रहे उपस्थित...

कार्यक्रम में जिला सचिव सुंदर राजवाड़े, जिला संगठन आयुक्त स्काउट नोपेश्वर साहू, जिला संगठन आयुक्त गाइड आशा एक्का, जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट सुनील बड़ा, जिला प्रशिक्षण आयुक्त गाइड निशा खान, जिला क्वार्टर मास्टर अमरनाथ सिंह, जिला ट्रेनिंग काउंसलर डॉ. उत्तम साहू, अजय कुमार ठाकुर, धनमत्त पड़ौती, विकासखंड सचिव सोनहत्त श्याम आण्डल, विकासखंड सचिव बैकुंठपुर शिवप्रताप सिंह, स्काउटर केशव प्रसाद साहू, प्रवीण मिंज, जयपाल पल्ले, राजाराम देवांगन, गाइडर विजय कुशुर, एमनेश आनन्द दास, डिम्पल मिंज, जगमईत लकड़, निशांत आरा सहित अभिभावकगण एवं स्काउट्स-गाइड्स उपस्थित रहे।

केल्हारी बस दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई, 3 यात्री बसें जब्त

एमसीबी, 23 अक्टूबर 2026। जिले के थाना केल्हारी क्षेत्र अंतर्गत 22 अक्टूबर 2026 को हुई यात्री बस दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने यात्री बसों के विरुद्ध सख्त जांच एवं प्रवर्तन अभियान शुरू कर दिया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी के निर्देश पर आज 23 अक्टूबर को परिवहन उड़नदस्ता दल द्वारा विभिन्न यात्री बसों की सख्त जांच की गई। जांच के दौरान मोटरयान अधिनियम एवं संबंधित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 3 यात्री बसों को जब्त किया गया, वहीं 4 अन्य बसों के विरुद्ध कुल 11 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। केल्हारी क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा यात्री वाहनों की तकनीकी स्थिति एवं आवश्यक दस्तावेजों की विशेष जांच की जा रही है। अभियान के अंतर्गत बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र तथा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जा रही है।



सोनहत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अजब व्यवस्था!

कागजों में आवंटित कमरा, जमीन पर दूसरे का कब्जा



एसडीएम के आदेश के बावजूद कृषि विभाग के कर्मचारी को नहीं मिला आवास का कब्जा

एक ओर सरकारी खजाने में जमा हो रहा किराया, दूसरी ओर आवंटित आवास पर विवाद

आदेश लेकर भटक रहा कर्मचारी

एसडीएम के आवंटन आदेश के बाद भी आवास के लिए भटक रहा कृषि विभाग का कर्मचारी, शिकायत पर कार्रवाई का इंतजार

सोनहत में सरकारी आवास का अजब खेल!

आदेश हीरलाल के नाम, कब्जा किसी और का...

कागजों में आवंटन, जमीन पर दूसरे का कब्जा! सोनहत में सरकारी व्यवस्था पर सवाल

सरकारी आदेश के पालन में देरी क्यों? सोनहत में आवंटित आवास को लेकर विवाद

एसडीएम का आदेश बेअसर! सरकारी आवास के लिए भटक रहा कर्मचारी, आखिर किसकी शह पर कब्जा?

आवास शुल्क जमा, फिर भी कमरे से दूरी! सोनहत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उलझा आवंटन

सरकारी आवास का गजब गणित : आवंटन किसी के नाम, निवास किसी और का!

शिकायत के बाद भी नहीं मिला आवास का कब्जा, एसडीएम के आदेश के क्रियान्वयन पर सवाल

सोनहत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अजब व्यवस्था! आदेश कागजों में, आवास पर दूसरे का कब्जा, न्याय के लिए भटक रहा सरकारी कर्मचारी

एसडीएम के आवंटन आदेश के बावजूद कृषि विभाग के कर्मचारी को नहीं मिला कमरा जी-04 का आधिपत्य

शिकायत के बाद भी कार्रवाई पर सवाल आवास शुल्क जमा करने के दस्तावेजों की जांच की मांग...

-राजन पाण्डेय-

सोनहत/ कोरिया, 23 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई हाउसिंग

बोर्ड कॉलोनी में यदि आवंटन का आदेश जारी होने के बाद भी संबंधित कर्मचारी अपने आवास में प्रवेश नहीं कर सके, तो सवाल सिर्फ एक कमरे का नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के क्रियान्वयन का भी है। सोनहत स्थित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की कर्मचारी आवासीय कॉलोनी से जुड़ा ऐसा ही मामला सामने आया है। कृषि विभाग में पदस्थ बीटीएम हीरलाल केवट का दावा है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनहत के आदेश से उन्हें कमरा नंबर जी-04 आवंटित किया गया, लेकिन इसके बावजूद वे आवास का वास्तविक आधिपत्य प्राप्त नहीं कर सके, शिकायतकर्ता के अनुसार, कमरे में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) विभाग में पदस्थ धन साय सिदार निवास कर रहे हैं।

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सक्षम अधिकारी ने आवास आवंटन का आदेश जारी कर दिया, तो उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी थी? शिकायत के बाद क्या जांच हुई और आवंटित कर्मचारी को अब तक आवास का कब्जा क्यों नहीं मिल पाया? वहीं, आवास शुल्क जमा करने से संबंधित दस्तावेजों और कमरे में वर्तमान निवास की स्थिति को लेकर भी स्पष्टीकरण आवश्यक है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी शिकायतकर्ता के पक्ष पर आधारित है, संबंधित अधिकारियों और दूसरे कर्मचारी का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

एसडीएम के आदेश से आवंटित हुआ कमरा जी-04

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृषि विभाग सोनहत में बीटीएम के पद पर कार्यरत हीरलाल केवट ने शासकीय आवास के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनहत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, इसके बाद संशोधित आदेश क्रमांक 716/जावक/2026, दिनांक 8 जुलाई 2026 जारी किए जाने की जानकारी दी गई है, बताया गया है कि आदेश के माध्यम से सोनहत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के द्वितीय ब्लॉक में कमरा नंबर त-04 हीरलाल केवट को आगामी आदेश अस्थायी रूप से आवंटित किया गया, लेकिन आवंटन आदेश जारी होने के बावजूद उन्हें कमरे का वास्तविक आधिपत्य नहीं मिलने की शिकायत है, यदि आवंटन आदेश प्रभावी है और बाद में उसे निरस्त या संशोधित नहीं

एसडीएम, हाउसिंग बोर्ड और आरईएस से जवाब जरूरी

सोनहत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का यह मामला सरकारी आवासों के आवंटन और उनके वास्तविक उपयोग की व्यवस्था से जुड़े सवाल खड़े करता है, एक ओर आवंटन आदेश जारी होने की जानकारी है, दूसरी ओर शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें आवास का आधिपत्य नहीं मिला है, साथ ही, आवास शुल्क के भुगतान और कमरे में वर्तमान निवास की स्थिति को लेकर भी स्पष्टीकरण आवश्यक है, ऐसे में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनहत, हाउसिंग बोर्ड के संबंधित अधिकारियों और आरईएस विभाग का पक्ष महत्वपूर्ण है। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट करना चाहिए कि कमरा नंबर त-04 की वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर किस आधार पर निवास किया जा रहा है, 13 जुलाई को प्राप्त शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई और आवंटित कर्मचारी को आधिपत्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

अब कार्रवाई का इंतजार

हीरलाल केवट को आवंटित कमरा नंबर जी-04 का आधिपत्य नहीं मिल पाने की शिकायत ने सोनहत की सरकारी आवास व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में निष्पक्ष जांच कर आवंटन आदेश, ट्रेजरी चालान, आवास की वर्तमान स्थिति और दोनों पक्षों के दस्तावेजों का परीक्षण किया जाना जरूरी है, यदि आवंटन आदेश प्रभावी पाया जाता है, तो संबंधित कर्मचारी को आवास का लाभ दिलाने में आ रही बाधाओं को दूर करने की दिशा में नियमानुसार कदम उठाए जाने चाहिए, वहीं, यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जानी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है—जब सरकारी आदेश से आवास आवंटित किया गया है, तो पात्र कर्मचारी को उसका वास्तविक लाभ दिलाने में देरी क्यों हो रही है? अब देखा होगा कि प्रशासन इस शिकायत का निराकरण कब तक करता है और आवास के वास्तविक आधिपत्य को लेकर स्थिति कब स्पष्ट होती है।

किया गया है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि कमरे का उपयोग किस आधार पर किया जा रहा है, क्या संबंधित आवास के लिए पहले से कोई दूसरा आवंटन आदेश जारी हुआ था? क्या पुराने आवंटन को निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी हुई थी? अथवा आवास खाली करने और नए आवंटन को कब्जा दिलाने में प्रशासनिक स्तर पर देरी हो रही है? इन सवालों का जवाब संबंधित अभिलेखों की जांच से ही मिल सकेगा।

13 जुलाई को शिकायत, फिर भी कब्जे का इंतजार

शिकायतकर्ता हीरलाल केवट के अनुसार, आवास पर कब्जा नहीं मिलने के संबंध में उन्होंने 13 जुलाई 2026 को एसडीएम सोनहत के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, आवेदन में आवंटित कमरा खाली करार उसका आधिपत्य दिलाने का अनुरोध किया गया था, इसके बावजूद, उनके अनुसार, समस्या का समाधान नहीं हो सका, ऐसे में शिकायत के निराकरण की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, यदि आवेदन मिलने के बाद जांच या कार्रवाई की गई है, तो उसका विवरण सार्वजनिक होना चाहिए, यदि कार्रवाई लंबित है, तो विलंब का कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए, किसी भी प्रशासनिक आदेश की उपयोगिता उसके प्रभावी क्रियान्वयन से ही सुनिश्चित होती है, आदेश जारी हो जाए, लेकिन संबंधित व्यक्ति को उसका लाभ न मिले, तो व्यवस्था की जवाबदेही तय करना आवश्यक

हो जाता है, इस मामले में यह भी जांच का विषय है कि आवास की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण कराया गया या नहीं और संबंधित कर्मचारियों से उनके आवंटन संबंधी दस्तावेज मांगे गए या नहीं।

सरकारी खजाने में जमा राशि, लेकिन आवास के उपयोग पर सवाल

मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू आवास शुल्क जमा करने से जुड़ा है, उपलब्ध कार्रवाई गई जानकारी के अनुसार, हीरलाल केवट ने ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी कोष में राशि जमा की है, प्रस्तुत विवरण में 30 जनवरी 2026 को 36 हजार रुपये और 27 फरवरी 2026 को 12 हजार रुपये जमा किए जाने का उल्लेख है, इसके अतिरिक्त 29 अप्रैल 2026 को भी आवास शुल्क जमा करने की जानकारी दी गई है, बताया गया है कि ये भुगतान प्रमुख लेखा शीर्ष 0216 के अंतर्गत किए गए, हालांकि, सभी भुगतानों की वास्तविक प्रकृति, संबंधित अवधि और कमरा नंबर त-04 से उनके संबंध की पुष्टि मूल चालान तथा विभागीय लेखा अभिलेखों से ही हो सकता है, यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उपलब्ध विवरण में कुछ भुगतान 8 जुलाई 2026 के आवंटन आदेश से पहले के हैं, इसलिए यह मान लेना उचित नहीं होगा कि सभी भुगतान इसी आदेश के तहत आवंटित कमरे के लिए किए गए थे, प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित राशि किस आवास, किस अवधि और किस आधार पर

जमा कराई गई थी, यदि अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि शुल्क संबंधित आवास के लिए जमा किया गया था, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि आवास का वास्तविक आधिपत्य क्यों नहीं मिला, सरकारी आवास के शुल्क और उसके उपयोग के बीच किसी प्रकार का अंतर सामने आता है, तो उसकी जांच की जानी चाहिए।

दूसरे कर्मचारी के निवास का आधार क्या है?

शिकायतकर्ता के अनुसार, कमरा नंबर जी-04 में आरईएस विभाग के कर्मचारी धन साय सिदार निवास कर रहे हैं, हालांकि, उनके पास उस कमरे के लिए वैध आवंटन आदेश है या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दोनों पक्षों के दस्तावेजों का परीक्षण जरूरी है, संबंधित कर्मचारी के आवंटन आदेश, आवास खाली करने से जुड़े निर्देश, यदि कोई हों, तथा हाउसिंग बोर्ड और प्रशासन के अभिलेखों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, यदि दोनों कर्मचारियों के पक्ष में अलग-अलग समय पर आदेश जारी हुए हैं, तो यह भी जांचना होगा कि पुराने आदेश की वैधता क्या है और नए आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है, वहीं, यदि किसी व्यक्ति का कब्जा बिना वैध अनुमति के पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई का प्रश्न उठ सकता है, बिना दस्तावेजों की जांच के किसी कर्मचारी

को अवैध कब्जाधारी घोषित करना उचित नहीं होगा, लेकिन आवंटन आदेश और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर की शिकायत को नजरअंदाज करना भी प्रशासनिक जवाबदेही के अनुरूप नहीं होगा।

एचआरए और आवास शुल्क की भी होनी चाहिए पड़ताल

इस मामले में गृह किराया भत्ते (एचआरए) और सरकारी आवास के उपयोग से संबंधित सवाल भी उठाए गए हैं, शिकायतकर्ता ने आवास शुल्क जमा करने तथा आवास का उपयोग नहीं कर पाने की स्थिति पर सवाल उठाए हैं, हालांकि, किसी कर्मचारी को एचआरए मिल रहा है या नहीं, इसकी पुष्टि वेतन विवरण और सेवा अभिलेखों से ही की जा सकती है, इसी प्रकार, सरकारी आवास में निवास करने की पात्रता, आवंटन की वैधता और संबंधित शुल्क की स्थिति की जांच लागू नियमों के आधार पर होनी चाहिए, यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, फिलहाल इस संबंध में किसी निकष पर पहुंचने के बजाय संबंधित विभागों के अभिलेखों की जांच और आधिकारिक पक्ष सामने आना आवश्यक है।

सात दिन के नियम का आधार भी स्पष्ट होना जरूरी

शिकायत में आवास आवंटन के बाद सात दिनों के भीतर आधिपत्य ग्रहण करने की समयसीमा का उल्लेख किए जाने की जानकारी है, लेकिन इस समयसीमा का आधार, संबंधित नियम और उसकी लागू होने की परिस्थितियां स्पष्ट होना जरूरी है, प्रशासन को यह बताना चाहिए कि सात दिनों की समयसीमा किस नियम या विभागीय निर्देश के तहत निर्धारित है और इसका संबंध आवंटन द्वारा कब्जा लेने से है अथवा आवास खाली कराने की किसी दूसरी प्रक्रिया से, यदि आवास पर पहले से कोई कर्मचारी रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में कब्जा हस्तांतरण की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए।

पर्वतारोहण, व्यक्तित्व विकास एवं आपदा प्रबंधन शिविर पंचमढ़ी हेतु कोरिया जिले से 50 सदस्यीय टीम रवाना

-संवाददाता-

बैकुंठपुर, 23 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त सम्माननीय इंद्रजित सिंह खालसा जी के निर्देशानुसार, राज्य सचिव अमित कुमार क्षत्रिय के आदेशानुसार पर्वतारोहण, व्यक्तित्व विकास एवं आपदा प्रबंधन शिविर का आयोजन दिनांक 23 से 27 अक्टूबर 2026 तक राष्ट्रीय सहस्रिक संस्थान पंचमढ़ी में किया जा रहा है। जिले में कोरिया जिले से जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला आयुक्त स्काउट जितेंद्र कुमार गुप्ता के आदेशानुसार, जिला संगठन आयुक्त स्काउट नागेश साहू के नेतृत्व में जिला प्रभारी आशा एक्का जिला संगठन आयुक्त गाइड, डॉ. उत्तम साहू ट्रेनिंग काउंसलर, स्काउटर प्रवीण मिंज एवं गाइडर जगमाईत कलड़ा के साथ जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों के 23 स्काउट्स, 23 गाइड्स सहित 50 सदस्यीय दल रवाना हुए।



पर्वतारोहण, व्यक्तित्व विकास एवं आपदा प्रबंधन शिविर पंचमढ़ी में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों हेतु राज्य मुख्यालय रायपुर से प्राप्त एडवेंचर किट सामग्री (ट्रेक शूट, पी कैप, पानी बाटल, बैग, आई डी कार्ड) के वितरण कार्यक्रम का आयोजन रागुन गार्डन खाड़ा, बैकुंठपुर में किया गया, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सम्माननीय राजीव पाठक जी जिला अध्यक्ष

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स कोरिया उपस्थित रहे, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला आयुक्त स्काउट जितेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक संचालक कोशिक भद्रा तथा राज्य मुख्यालय आयुक्त शैलेन्द्र कुमार मिश्रा मंचासीन रहे, इस शिविर का उद्देश्य स्काउट्स एवं गाइड्स में आपदा की परिस्थितियों से निपटने की क्षमता, प्राथमिक सहायता, नेतृत्व कौशल, टीम भावना,

आत्मविश्वास तथा व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना है, कार्यक्रम के पश्चात समस्त अतिथियों द्वारा प्रतिभागियों को बस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

जिले के पदाधिकारी एवं स्काउटर गाइडर रहे उपस्थित

कार्यक्रम में जिला सचिव सुरेंद्र कुमार राजवाड़े, जिला संगठन आयुक्त स्काउट नागेश साहू, जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट सुनील बड़ा, जिला प्रशिक्षण आयुक्त गाइड निशा खान, विकासखंड सचिव सोनहत श्याम आण्डल, विकासखंड सचिव बैकुंठपुर शिवप्रताप सिंह, जिला क्रांटी मास्टर अमरनाथ सिंह, जिला ट्रेनिंग काउंसलर अजय कुमार ठाकुर, धनमत पड़ौती, स्काउटर केशव प्रसाद साहू, जयपाल पल्ले, राजाराम देवांगन, गाइडर विजय कुजुर, एनेश आनन्द दास, डिम्पल मिंज, निशान आरा सहित अभिभावकगण एवं स्काउट्स-गाइड्स उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य पोषण सेवा संगम का आयोजन, बच्चों को दिया गया पौष्टिक आहार

-संवाददाता-

एमसीबी, 23 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य, पोषण एवं समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित रिफर्म उत्सव के अंतर्गत जिले में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में 22 अक्टूबर 2026 को बहुउद्देशीय केंद्र बेनीपुरा में स्वास्थ्य पोषण सेवा संगम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करने के साथ ही शिशु पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा और उचित देखभाल के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।



आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पिछले एक दशक में जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत एवं संस्थागत सुधारों को प्रदर्शित करने के साथ ही उनका दस्तावेजीकरण करना है। इसी कड़ी में देशभर के पूर्ण एवं संचालित बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 तक स्वास्थ्य पोषण सेवा संगम आयोजित किया जा रहा है। इसके

माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण संबंधी जागरूकता एवं बाल देखभाल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बहुउद्देशीय केंद्र बेनीपुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पौष्टिक एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराया गया। साथ ही बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में उचित पोषण की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया।

RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.-13/ससगजाडीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)